

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2022 का आपराधिक अपील (एकल पीठ) सं.-3978

थाना कांड संख्या-104 वर्ष-2020 थाना-आलमनगर जिला-मधेपुरा से उत्पन्न

=====

1. बबलू मेहता, पुत्र-मुरारी मेहता, निवासी गांव- बजरहा, थाना-आलमनगर, जिला-मधेपुरा
2. राजा मेहता, पुत्र-बसंत @प्रसून कुमार मेहता @बसंत मेहता, निवासी गांव- बजरहा, थाना-आलमनगर, जिला- मधेपुरा
3. गोलू मेहता, पुत्र-मुरलीधर मेहता, निवासी गांव- बजरहा, थाना-आलमनगर, जिला- मधेपुरा
4. निशांत मेहता, पुत्र-बसंत @प्रसून कुमार मेहता @बसंत मेहता, निवासी गांव-बजरहा, थाना-आलमनगर, जिला- मधेपुरा

..... अपीलार्थी/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. रीता देवी, पत्नी-स्वर्गीय पंकज रजक, निवास- बजरहा, वार्ड नं. 10, थाना-आलमनगर, जिला- मधेपुरा

..... उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिती :

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री बिमलेश कुमार पांडे, अधिवक्ता

राज्य के लिए : सुश्री उषा कुमारी 1, एपीपी

प्रत्यर्थी संख्या 2 के लिए : श्री शमशुल होदा, अधिवक्ता।

=====

अपील - दिनांक 28/8/2020 को माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश 1 सह विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी, मधेपुरा द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील, जिसमें अदालत ने प्रतिवादियों के खिलाफ अपराधों के लिए अपीलकर्ताओं के खिलाफ संज्ञान लिया - अपीलकर्ता भुट्टा खा रहे थे और उन्होंने सूचक के पति को बुलाया, और उसके

पहुंचने के बाद गोली चलने की आवाज आई और अपीलकर्ताओं को स्थल से भागते हुए देखा गया - सूचक और उनके पुत्र घटना के प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं - सूचक मृतक की पत्नी हैं और अपने आरोप पर दृढ़ रहीं कि आरोपी और उनका परिवार विवादित भूमि को खाली करने का दबाव डाल रहे थे और ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी दी थी - मृतक पीड़ित की हत्या में कोई विवाद नहीं है - कि क्या आरोप सही हैं या नहीं, इसका निर्णय केवल ट्रायल कोर्ट ही कर सकता है - अपराध के कमीशन को दिखाने के लिए पर्याप्त प्राथमिक साक्ष्य हैं - एक आपराधिक कार्यवाही को प्रारंभिक स्तर पर रोका जाना चाहिए, विशेष रूप से जब अपराध के कमीशन को दिखाने के लिए पर्याप्त प्राथमिक साक्ष्य हों - आरोपी को प्रारंभिक स्तर पर इस आधार पर मुक्त नहीं किया जाना चाहिए कि उसके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है - मृतक पीड़ित की हत्या में कोई विवाद नहीं - विवादित आदेश और अन्य प्रासंगिक सामग्रियों का अवलोकन किया गया - कथित अपराधों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त प्राथमिक सामग्री है, जिनके लिए अपीलकर्ताओं के खिलाफ संज्ञान लिया गया है - विवादित आदेश उचित प्रतीत होता है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है - न्यायालय को अपील में कोई दम नहीं लगता - अपील खारिज की जाती है।

संदर्भित:

दिल्ली नगर निगम बनाम राम किशन रोहतगी एवं अन्य (1983) 1 SCC 1

रामवीर उपाध्याय एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2022) SC  
ऑनलाइन 484

**पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश**

=====

**समक्ष:- माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह**

**सीएवी निर्णय**

**तारीख: 23-04-2024**

अपीलकर्ताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री बिमलेश कुमार पांडे, राज्य की ओर से विद्वान एपीपी सुश्री उषा कुमारी 1 और प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री शमशुल होदा को सुना गया।

2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संक्षेप में 'एससी/एसटी अधिनियम') की धारा 14 ए(1) के तहत आलमनगर थाना कांड संख्या 104/2020 से संबंधित एससी/एसटी कांड संख्या 77/2020 के संबंध में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश-I-सह-विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी, मधेपुरा द्वारा पारित दिनांक 28.08.2020 के आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई है, जिसके तहत विद्वान ट्रायल कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में 'आईपीसी') की धारा 302 और 120 बी और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(आई)(आर)(एस) के तहत अपराधों के लिए अपीलकर्ताओं के खिलाफ संज्ञान लिया है।

3. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री बिमलेश कुमार पांडे ने प्रस्तुत किया कि सूचक कथित घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है और यहां तक कि उसका बेटा, जिसने सूचक को सड़क पर पीड़िता के पड़े होने के बारे में सूचित किया था, को भी घटना का चश्मदीद गवाह नहीं कहा गया है और जांच के दौरान, यह प्रकाश में आया कि अंतू पासवान नामक व्यक्ति ने सूचक के साथ विवाहेतर संबंध विकसित कर लिया था और इस संबंध में, स्वतंत्र गवाहों, बैजू रजक और रीना देवी, जो केस डायरी के पैरा संख्या 15 और 16 में चर्चित मृतक के रिश्तेदार हैं, के बयान

प्रासंगिक हैं और जांच के दौरान, वास्तविक घटना को देखने वाले कुछ ग्रामीणों ने कहा कि उक्त अंतू पासवान तीन अज्ञात व्यक्तियों के साथ मक्का (भुट्टा) खा रहा था, जिन्होंने सूचक के पति पंकज रजक (पीड़ित) को बुलाया और उक्त पीड़िता वहां पहुंची और उसके बाद गोलीबारी की आवाज सुनाई दी तथा उसके बाद अंतू पासवान एवं उसके अज्ञात मित्रों को घटनास्थल से भागते हुए देखा गया था और इस संबंध में, केस डायरी के पैरा संख्या 55 और 60 में उल्लिखित जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए स्वतंत्र व्यक्तियों नरेश मंडल और मीना देवी के बयान प्रासंगिक हैं। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि कथित घटना के दिन, हत्या की कथित घटना के पहले और बाद में, सूचक जो मृतक की पत्नी है, मोबाइल संचार के माध्यम से अंतू पासवान, जिसके साथ उसका विवाहेतर संबंध था, के संपर्क में रही और उनके बीच कई बार कॉल हुई और इस संबंध में केस डायरी में पर्याप्त सामग्री है और वास्तव में, उक्त अंतू पासवान ने अपनी अवैध इच्छा की पूर्ति के लिए सूचक के पति को मार डाला और सूचक ने अंतू पासवान को बचाने के लिए घटना को अलग रंग देते हुए झूठा आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज कराई और जांच के दौरान यह प्रकाश में आया कि सूचक के पति का विरोधी अशोक यादव ने 2 बीघा विवादित जमीन हड़पने के लिए अंतू पासवान को सूचक के साथ अवैध संबंध बनाने के लिए तैयार किया था। आगे कहा गया कि प्राथमिकी में सूचक द्वारा लगाए गए आरोपों की गहन जांच की गई और अंततः पुलिस ने कथित घटना में अपीलकर्ताओं की मिलीभगत नहीं पाई और अंतिम प्रपत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें दिखाया गया कि अपीलकर्ताओं को सुनवाई के लिए नहीं भेजा गया और विचारण न्यायालय ने प्रासंगिक सामग्रियों और केस डायरी के पैराग्राफों पर गौर नहीं किया गया, जिन पर विद्वान विचारण न्यायालय ने भरोसा किया, वे कथित घटना में अपीलकर्ताओं की संलिप्तता को दिखाने के लिए प्रथम दृष्टया सामग्री का खुलासा भी नहीं करते हैं। विद्वान वकील ने आगे कहा कि अपीलकर्ताओं को मुख्य

रूप से सह-अभियुक्त अनीषेक मेहता के रिश्तेदार होने के कारण आरोपी बनाया गया है, जिनके साथ मृतक का कुछ भूमि विवाद था और अपीलकर्ताओं सहित 12 व्यक्तियों के खिलाफ एफ.आई.आर दर्ज की गई है, लेकिन उन सभी को मुख्य रूप से बिना किसी आधार के संदेह के आधार पर आरोपी बनाया गया है। विद्वान वकील ने आगे कहा कि एफ.आई.आर और सूचक के पुनर्कथन के अनुसार, अपीलकर्ता कथित तौर पर सह-अभियुक्त अनीषेक मेहता के साथ मिलकर सूचक के पति को खत्म करने के लिए रची गई साजिश के सदस्य थे, लेकिन कथित साजिश को दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है और पुलिस को यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं मिली कि अपीलकर्ताओं में से किसी ने पहले पीड़ित को धमकी दी थी या अपराध के समय घटना स्थल पर या उसके आसपास मौजूद था या अपराध के समय मुख्य आरोपी अनीषेक मेहता से मिला था, इसलिए, यह आरोप कि अपीलकर्ता कथित साजिश के सदस्य थे, पूरी तरह से निराधार है। इन दलीलों के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक आवेदन संख्या 3618/2023 में पारित फैसले पर भरोसा रखा है और उक्त फैसले के पैरा 23 को संदर्भित किया है जिसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:-

"23. कानूनी स्पेक्ट्रम के सावधानीपूर्वक अवलोकन पर, तथ्यों और गुणों पर हमारे दृष्टिकोण के साथ, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि अपीलकर्ताओं पर कोई संदेह नहीं है, बहुत कम मजबूत या गंभीर संदेह है कि वे कथित अपराध के दोषी हैं। इस पृष्ठभूमि में अपीलकर्ताओं को पूर्ण आपराधिक मुकदमे का सामना करना अनुचित होगा। धारा 482, सीआरपीसी के तहत एक एफआईआर को रद्द करने से उच्च न्यायालय के इनकार से निपटने वाली अपील में, इस न्यायालय ने, उसमें दिए गए निर्णय को अलग करते हुए और उस एफआईआर को रद्द करते हुए, यह विचार किया कि '...अपीलकर्ताओं को

परेशान करने वाले और अनुचित आपराधिक अभियोजन से और अनावश्यक रूप से अंतिम मुकदमे की कठोरता से गुजरने से बचाया जाना चाहिए।' योग्य मामले में जैसा कि परिस्थितियाँ हो सकती हैं, उच्च न्यायालयों पर एक कर्तव्य है, परेशान करने वाले और अवांछित अभियोजन से और आपराधिक कार्यवाही को गुमनामी में डालकर अनावश्यक रूप से मुकदमे में घसीटे जाने से सुरक्षा, या तो एफआईआर/शिकायत को रद्द करके या डिस्चार्ज को अस्वीकार करने वाले आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति देकर या किसी अन्य कानूनी रूप से स्वीकार्य मार्ग से, उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए था और अपीलकर्ताओं को बरी करना चाहिए था। लेकिन यह न्यायालय हस्तक्षेप करेगा, क्योंकि वह सतर्क प्रहरी है।"

4. इसके विपरीत, प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री शमशुल होदा ने तर्क दिया है कि सभी अपीलकर्ताओं के नाम एफआईआर में हैं और कथित घटना अपीलकर्ताओं और अन्य द्वारा रची गई साजिश को आगे बढ़ाने के लिए की गई थी और सूचक ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप लगाए और अपने पुनर्कथन में भी उन्हें दोहराया और यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि आरोप की सत्यता का फैसला मुकदमे में किया जाना चाहिए और एफआईआर में सूचक (प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा लगाए गए आरोप अपीलकर्ताओं के खिलाफ संज्ञेय अपराध गठित करने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त हैं और यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग सावधानी से और दुर्लभतम मामलों में किया जाना चाहिए। इन दलीलों के समर्थन में प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान वकील ने विशेष अनुमति याचिका संख्या 2953/2022 में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा रखा है और प्रासंगिक पैरा संख्या 39 जिसे विद्वान वकील द्वारा संदर्भित किया गया है, निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

“39. हमारी राय में आपराधिक कार्यवाही को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके केवल इसलिए नहीं रोका जा सकता है क्योंकि शिकायत किसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी द्वारा दर्ज की गई है। यह संभव है कि किसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के कहने पर झूठी शिकायत दर्ज की गई हो। हालांकि, ऐसी संभावना आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हस्तक्षेप को उचित नहीं ठहराएगी। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पहले के आपराधिक मामले के बंद होने के बाद कथित कृत्यों द्वारा याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रतिशोध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। शिकायत में लगाए गए आरोप अत्याचार अधिनियम के तहत अपराध हैं। आरोप सही हैं या गलत, इसका फैसला मुकदमे में किया जाएगा। सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, न्यायालय किसी शिकायत में आरोपों की सत्यता की जांच नहीं करता है, सिवाय उन असाधारण दुर्लभ मामलों के जहां यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि आरोप तुच्छ हैं या किसी अपराध का खुलासा नहीं करते हैं। शिकायत मामला संख्या 19/2018 ऐसा मामला नहीं है जिसे बिना किसी और सुनवाई के शुरू में ही खारिज कर दिया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन को सही तरीके से खारिज कर दिया।”

5. दोनों पक्षों को सुना गया तथा विवादित आदेश और अन्य प्रासंगिक सामग्रियों का अवलोकन किया गया। सभी अपीलकर्ताओं के नाम एफआईआर में दर्ज हैं तथा वे मुख्य सह-अभियुक्त अनीषेक मेहता के रिश्तेदार बताए गए हैं, जिनके साथ मृतक का भूमि विवाद था। यद्यपि सूचक और उसके बेटे को कथित घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं बताया गया है, लेकिन सूचक के अनुसार, कथित घटना अपीलकर्ताओं

और अन्य द्वारा रची गई साजिश को आगे बढ़ाने के लिए की गई थी। सूचक जांच के दौरान अपने आरोपों पर अडिग रही तथा उसने अपना बयान दर्ज कराया तथा उसके अनुसार, सह-अभियुक्त अनीषेक मेहता और उसके परिवार के सदस्य सूचक के पति (पीड़ित) पर विवादित भूमि खाली करने के लिए दबाव डाल रहे थे तथा उक्त भूमि पर अपना कब्जा खाली न करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। रामचरण पासवान, जंटू पासवान, मंजुला देवी और राजेश पासवान जैसे कुछ महत्वपूर्ण गवाहों द्वारा लगभग एक जैसे आरोप लगाए गए थे और पीड़ित की हत्या का कोई विवाद नहीं है और यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि आरोप सही हैं या गलत, इसका फैसला केवल मुकदमे में ही किया जा सकता है और एक आपराधिक कार्यवाही को शुरू में ही नहीं रोका जाना चाहिए, खासकर जब किसी अपराध के होने को दर्शाने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त सामग्री मौजूद हो और किसी आरोपी को मुकदमे के शुरुआती चरण में सिर्फ इस आधार पर दोषमुक्त नहीं किया जाना चाहिए कि उसके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है और उसके खिलाफ सिर्फ संदेह जताया गया है। यद्यपि, वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, अपीलकर्ताओं द्वारा किए गए बचाव प्रासंगिक हैं लेकिन उक्त बचावों की सत्यता अभियोजन पक्ष के साक्ष्य लेने के बाद ही तय की जा सकती है और केवल जांच अधिकारी द्वारा एकत्र की गई कुछ सामग्रियों पर भरोसा करके सूचक द्वारा लगाए गए आरोपों से अपीलकर्ताओं को उनके मुकदमे के शुरुआती चरण में दोषमुक्त करना उचित नहीं होगा क्योंकि ऐसी सामग्रियों की विश्वसनीयता और स्वीकार्यता केवल निचली अदालत द्वारा मुकदमे के दौरान ही तय की जा सकती है। **दिल्ली नगर निगम बनाम राम किशन रोहतगी और अन्य** (1983) 1 एससीसी 1 के मामले में रिपोर्ट किया गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत रद्द करने की शक्ति के

प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए, जिन्हें निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

"7. धारा 482 के तहत शक्ति की सीमाओं को इस न्यायालय द्वारा **राज कपूर बनाम राज्य** [(1980) 1 एससीसी 43: 1980 एससीसी (अप.) 72] में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था, जहां न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर, ने इस प्रकार देखा: [एससीसी पैरा 10, पृष्ठ 47: एससीसी (अप.) पृष्ठ 76]"

"फिर भी, जब कोई विशिष्ट प्रावधान किया जाता है तो कानून की इस शाखा में एक सामान्य सिद्धांत व्याप्त होता है: अंतर्निहित शक्ति का आसानी से सहारा लेना उचित नहीं है सिवाय बाध्यकारी परिस्थितियों के। ऐसा नहीं है कि अधिकार क्षेत्र का अभाव है, लेकिन अंतर्निहित शक्ति को उसी संहिता के तहत विशिष्ट शक्ति के लिए अलग किए गए क्षेत्रों पर आक्रमण नहीं करना चाहिए।"

8. एक और महत्वपूर्ण बात जो ध्यान में रखी जानी चाहिए वह यह है कि धारा 482 के प्रावधानों के तहत कार्य करने वाले उच्च न्यायालय को आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के संबंध में अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग कब करना चाहिए। इस मामले पर श्रीमती नागवा बनाम वीरन्ना शिवलिंगप्पा कोंजालगी [(1976) 3 एससीसी 736: 1976 एससीसी (अप.) 507: 1976 सप एससीआर 123: 1976 क्रि एलजे 1533] में अधिक विस्तार से चर्चा की गई थी, जहां वर्तमान संहिता की धारा 202 और 204 के दायरे पर विचार किया गया था और दिशा-निर्देश और आधार निर्धारित करते समय जिन पर कार्यवाही को रद्द किया जा सकता था, इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की: [एससीसी पैरा 5, पृष्ठ 741: एससीसी (अप.) पृष्ठ 511-12]

“इस प्रकार यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि निम्नलिखित मामलों में अभियुक्त के खिलाफ मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश को रद्द या अलग रखा जा सकता है:

(1) जहां शिकायत में लगाए गए आरोप या उनके समर्थन में दर्ज गवाहों के बयानों को उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए तो आरोपी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है या शिकायत में आरोपी के खिलाफ आरोपित अपराध के आवश्यक तत्वों का खुलासा नहीं होता है;

(2) जहां शिकायत में लगाए गए आरोप स्पष्ट रूप से बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभाव्य हैं, जिससे कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है;

(3) जहां मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जारी करने में प्रयुक्त विवेकाधिकार स्वेच्छाचारी और मनमाना है, जो या तो किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है या ऐसी सामग्री पर आधारित है जो पूर्णतः अप्रासंगिक या अग्राह्य है; और

(4) जहां शिकायत में मौलिक विधिक दोष हैं, जैसे मंजूरी का अभाव, या विधिक रूप से सक्षम प्राधिकारी द्वारा शिकायत का अभाव इत्यादि।

हमारे द्वारा उल्लिखित मामले विशुद्ध रूप से उदाहरणात्मक हैं तथा उन आकस्मिकताओं को इंगित करने के लिए पर्याप्त दिशानिर्देश प्रदान करते हैं जिनमें उच्च न्यायालय कार्यवाही को रद्द कर सकता है।”

9. शारदा प्रसाद सिन्हा बनाम बिहार राज्य [(1977) 1 एससीसी 505: 1977 एससीसी (अप.) 132: (1977) 2 एससीआर 357: 1977 क्रि एलजे 1146] में इस न्यायालय के बाद के फैसले में भी यही दृष्टिकोण अपनाया गया था, जहां न्यायमूर्ति भगवती ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए

निम्नलिखित टिप्पणी की थी: [एससीसी पैरा 2, पृष्ठ 506: एससीसी (अप.) पृष्ठ 133]

"अब यह स्थापित कानून है कि जहां शिकायत या आरोप पत्र में दिए गए आरोप कोई अपराध नहीं बनाते हैं, वहां उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपने अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर अपराध का संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को रद्द करने में सक्षम है।

10. इसलिए, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि किसी आरोपी के खिलाफ कार्यवाही को शुरुआती चरणों में तभी रद्द किया जा सकता है जब शिकायत या उसके साथ दिए गए कागजात के आधार पर कोई अपराध न बनता हो। दूसरे शब्दों में, परीक्षण यह है कि आरोपों और शिकायत को वैसे ही लें जैसे वे हैं, बिना कुछ जोड़े या घटाए, अगर कोई अपराध नहीं बनता है तो उच्च न्यायालय को वर्तमान संहिता की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यवाही को रद्द करने का अधिकार होगा।"

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में **रामवीर उपाध्याय एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य** के मामले में उपरोक्त सिद्धांतों का पालन किया, जिसकी रिपोर्ट 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 484 में दी गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त सिद्धांतों पर विचार करने के साथ-साथ इस निर्णय के पैरा 5 में की गई चर्चा को देखते हुए, कथित अपराधों के लिए अपीलकर्ताओं के खिलाफ पर्याप्त प्रथम दृष्टया सामग्री है, जिनका संज्ञान लिया गया है और आरोपित आदेश उचित प्रतीत होता है और इसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, इस न्यायालय को इस अपील में कोई योग्यता नहीं दिखती है।

7. परिणामस्वरूप, तत्काल अपील खारिज की जाती है।

(शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति)

वार्षिकी/-

1 प्रियंका मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2023 आईएनएससी 729 | 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 978

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।